संख्या-02/2021/252/86-2021-153(सा0)/2017

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 04 फरवरी, 2021

विषयः निजी भूमि मे बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर अथवा इनमें से कोई मिली-जुली अवस्था में उपलब्ध हो, के लिए दोगुनी रायल्टी पर भू-स्वामी के पक्ष में खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (सैतालिसवां संशोधन) नियमावली-2019 अधिसूचना दिनांक 13.08.2019 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। संशोधित नियमावली दिनांक 13.08.2019 के अन्तर्गत नियम-23(ड.) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-2026/86-2019-57 (सा0)/2017 दिनांक 30.08.2019 द्वारा नदी तल स्थित निजी भूमि के क्षेत्र, जो न्यूनतम 1 हे0 हो, जिसमें बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में उपलब्ध हों, को अधिकतम 06 माह की अवधि के लिए ई-निविदा के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

2. उक्त नियमावली के अन्तर्गत नियम-52क के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-2027/ 86-2019-57(सा0)/2017 दिनांक 30.08.2019 द्वारा कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर अथवा इनमें से कोई भी मिली-जुली अवस्था में उपलब्ध हो, को हटाने हेतु दोगुनी रायल्टी पर भू-स्वामी के पक्षमें एक फसली वर्ष में तीन माह की अवधि हेतु अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3. नदी तल स्थित निजी भूमि में उपलब्ध बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में उपलब्ध हो, के क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रदेश में भूमिधरी में उपलब्ध बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में उपलब्ध हो, के व्यवस्थापन हेतु उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 में नया नियम-52ग समावेशित करते हुये ''उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (तिरपनवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 अधिसूचना सं0-2219/86-2020-153(सा0) /2017 दिनांक 27.01.2021 द्वारा (छायाप्रति संलग्न) प्रख्यापित की गई है। उक्त नियम-52ग निम्नवत् हैः-

''खनन अनुज्ञा पत्र, निजी भूमि, जहॉ साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर अथवा इनमें से कोई भी वस्तु मिली-जुली अवस्था में उपलब्ध हो, और पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी की दृष्टि से खनन हेतु उपयुक्त पायी जाय, पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के अध्यधीन प्रथम अनुसूची में उल्लिखित स्वामित्व की दो गुनी धनराशि जमा किये जाने पर अधिकतम छः माह की अवधि के लिये भू-स्वामी के पक्ष में स्वीकृत किया जा सकता है।''

4. उक्त नियम के अन्तर्गत खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया निम्नवत् हैः-

(1) बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिलीजुली अवस्था में हो, के खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति हेतु प्रपत्र एम0एम0-8 पर तीन प्रतियों में रू0-2000/- (रूपये दो हजार) मात्र की फीस एवं भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियां, जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो, में आवेदन जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(2) पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी की दृष्टि से आवेदित क्षेत्र की उपयुक्तता एवं खनन योग्य मात्रा का आंकलन निम्न समिति द्वारा किया जायेगा:-

1	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी
2	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिचाई एवं जल संशाधन विभाग
3	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
4	जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक

(3) गठित समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 06 माह से अनाधिक अवधि के लिये भूमिधर के पक्ष में **स्वामित्व की दो गुनी धनराशि** को अग्रिम रूप में जमा कराकर नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए प्रपत्र एम0एम0-10 में खनन अनुज्ञा पत्र जारी किया जायेगा।

5. अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमिधरी में बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी, जो मिलीजुली अवस्था में हो, के लिए दोगुनी रायल्टी पर उपरिलिखित प्राविधानों और उपखनिजों के परिवहन आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अद्यतन निर्देशों के अनुसार भू-स्वामी के पक्ष में, खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्याः 252(1)/86-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-1377/ एम0-1ए 15/2011 दिनांक 25.11.2020 के सन्दर्भ में।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in